न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –27 / 2022 आरसीएमएस नं0 – 2022 / 00160

उनवान:–

1. ओमवती पत्नि मेवाराम
2. चन्द्रकला पत्नि कालीचरण
3. ललिता देवी पत्नि बनवारीलाल

जाति त्यागी निवासीगण सरकनखेडा दूबरा तहसील धौलपुर

——————————सायलान

बनाम

1. गुड्डी पुत्री बाबूलाल पत्नि मुकेश जाति त्यागी निवासी ग्राम कुरैंधा तहसील सैंपउ
2. हेमलता पत्नि दिवाकर जाति त्यागी निवासी ग्राम टेहरी तहसील सैंपउ
3. दीनदयाल शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा
4. दीपक शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा
5. नरेन्द्र शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा

जातिगण ब्राम्हण निवासीगण बीच का पुरा अण्डवा पुरैनी तहसील राजाखेडा हाल निवासी बी–790 सुमेर नगर, मानसरोवर जयपुर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

————————————गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 111,112, 125 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट, प्रार्थीया की ओर से
2. श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

दिनांकः–14.02.2025

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिया ओमवती की ओर से इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान संयुक्त रूप से आराजी खसरा नम्बर 291, 292, व 296 वाके ग्राम मुस्तफावाद तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार थे। उक्त खसरा नम्बरान का सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के प्रकरण संख्या 06/2011 उनवानी श्री सत्यनारायण शर्मा बनाम श्रीमती ओमवती बगैरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2011 के

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

द्वारा बंटवारा हो गया। बंटवारे में सायलान के हिस्से में ख.नं. 291/3 हाल कम्प्यूटराइज्ड नं. 367/291 रकबा 00-06 विस्वा, ख.नं. 292/3 हाल कम्प्यूटराईज्ड नं0 374/292 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा एंव ख.नं. 296/1 हाल कम्प्यूटराईज्ड नं0 368/296 रकबा 6 विस्वा कुल रकबा 0.7588 है0 आया और राजस्व अभिलेखों में सायलान को बतौर खातेदार काश्तकार अंकित कर दिया। इस सीमा तक प्रकरण में कोई विवाद नही है। नक्शा अक्स में पटवारी के द्वारा तरमीम करते हुए सायलान के नम्बरान जो डाले उनका कुल रकबा 0.7588 है0 जो होना चाहिए वह नहीं है। अर्थात नक्शे के अनुसार सायलान का रकबा पूरा नहीं बैठता है। गैरसायलान से सायलान ने दिनांक 10.07.2022 को इस बात का ध्यान दिलाते हुए अनुरोध किया कि नक्शा अक्स में सायलान का रकबा उनकी खातेदारी के अनुसार 0.7588 है0 नहीं होता है। आप दुरूस्त कराकर के नक्शा अक्स में सायलान के नम्बरों का रकबा जमाबन्दी के अनुसार दुरूस्त करा दें। तो गैरसायलान ने मना कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्स्वीकार किया जाकर नक्शा अक्स में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए ख.नं. 374/292 का रकबा 2 बीघा 08 विस्वा, ख.नं. 367/291 का रकबा 6 विस्वा एंव ख.नं. 368/296 का रकबा 06 विस्वा कुल रकबा 0.7588 है0 किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी खाता संख्या 8 व 26 ग्राम मुरतफाबाद संवत 2076 पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 1, 3,4,5 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 02 की ओर से श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि नक्शा अक्स में तरमीम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2011 की पालना में की गई है। इसलिए नक्शा अक्स में तरमीम शुद्ध संबधित न्यायालय से ही संभव है। वर्तमान प्रार्थना पत्र के माध्यम से नक्शा में तरमीम किया जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थीगण को क्योंकर पक्षकार बनाया गया है उचित कारण अंकित नही है। विवादित अराजी के तमाम अन्य बटा नम्बरान के खातेदार काश्तकार कौन--कौन है स्पष्ट अंकित नही है। ना ही उन्हे पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र में मिस जोइन्डर ऑफ पार्टी का विधिक दोष है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबध में तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2024 से अवगत कराया कि खसरा नम्बर 291, 292,296 के विभाजित खसरा नम्बरान की रकबा बरारी की गई तो ख. नं. 291, 296 के विभाजित खसरा नम्बरान की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सही है एंव ख.नं. 292 की रकबा बरारी पर प्रार्थी के ख.नं. 374/292 लगभग 2.5 विस्वा कम अप्रार्थीगण का ख.नं. 373/292 का रकबा 2.5 विस्वा अधिक पाया गया है। तहसीलदार धौलपुर के साथ प्राप्त रिपोर्ट पटवारी हल्का में प्रस्तावित तरमीम का नजरी नक्शा अंकित किया है। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस व जमाबंदी संवत 2076 पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट एंव प्रस्तावित तरमीम अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्ध किए जाने हेतु कथन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने बहस के दौरान कोई आपत्ति नही की।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

अतः वकील उभयपक्ष को सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी, तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर आ0ख0 नं0 373/292 व 374/292 बांके ग्राम मुस्तफाबाद की तरमीम तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा में प्रस्तावित तरमीम अनुसार, तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस शुद्धि उपरान्त किसी भी खसरे का रकवा जमाबंन्दी में दर्ज रकवे से कम या अधिक नही होगा अर्थात जमाबंदी में दर्ज रकवे के समान की रहेगा। तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 2856 दिनांक 17.10.2024 से प्राप्त रिपोर्ट एंव प्रस्तावित तरमीम नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार धौलपुर को परवाना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर